दूरभाष : 0522–2286709
फैक्स : 0522–2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001

माननीय सवोच्च न्यायालय प्रकरण / *अति महत्वपूर्ण / अनुस्मारक पत्र*

पत्रांक 4114/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SUH) दिनॉक 21-01-2015

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण
   उत्तर प्रदेश
2. समस्त नगर आयुक्त
   नगर निगम,
   उत्तर प्रदेश।

विषयः–**शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme for Shelter for Urban Homeless) (SUH) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 779/69–1–14–14(104)/2013, दिनांक 23 मई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (एस.यू.एच.) के अन्तर्गत शहर स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (एस.यू.एच.) हेतु पूर्णतया उत्तरदायी है।

शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (एस.यू.एच.) का मुख्य उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को बुनियादी सुविधाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय सातों दिन चौबीस घंटे और सभी मौसम के लिए स्थाई बने होने चाहिये। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक आश्रय, 50 से 100 व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया/निर्मित किया जाना है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति हेतु कम से कम 5 वर्ग मी. का स्थान योजना के दिशा–निर्देशो के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे आश्रयों में सम्मान पूर्ण जीवन यापन करने के लिए जल, स्वच्छता, विद्युत, रसोई/खाना बनाने का स्थान, सामान्य मनोरंजन स्थल जैसी बुनियादी सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इसके साथ ही आंगनवाडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संपर्क, बाल परिचर्या सुविधाएं और अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी सुनिश्चित कराए जायेंगे।

आश्रयों के निर्माण लागत में वित्त–पोषण 75:25 केन्द्रांश और राज्यांश के आधार पर प्रस्तावित है। मिशन के इस घटक में नये आश्रय निर्माण के साथ–साथ वर्तमान/मौजूदा आश्रय/भवनों की मरम्मत/पुनरूद्धार के प्रस्ताव निकायों से निरन्तर मांगे गये है। कतिपय निकायों से शेल्टर होम निर्माण/पुनरूद्धार के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुए है जिसकी तदनुसार स्वीकृत राज्य परियोजना स्वीकृत समिति द्वारा की गयी/की जा रही है

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 779/69-1-14-14(104)/2013, दिनांक 23 मई, 2014 के अनुसार 'शहर स्तर पर गठित कार्यकारी समिति शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना अन्तर्गत सृजित होंने वाली सुविधाओं नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगी का स्पष्ट उल्लेख है।

उक्त शासनादेश के अनुपालन शहरी बेघरों के लिए निर्मित एवं पुनरूद्धार किये जाने वाले शेल्टर के पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों पर **'कार्यकारी समिति का अनुमोदन होना आवश्यक है'** जिसके दृष्टिगत प्रेषित सभी प्रस्तावों के अनुमोदन की कार्यवृत्ति राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराये यदि अपरिहार्य कारणों से कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है तो स्वीकृति के उपरान्त भेजे गये प्रस्तावों पर तदनुसार अनुमोदन की कार्यवाही करा ली जाय तथा भविष्य में भी भेजे जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में भी इस प्रकिया का पालन किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उल्लिखित शासनादेश दिनांक 23 मई, 2014 में गठित समिति की समयबद्ध बैठक का आयोजन कराकर शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (एस. यू.एच.) के लिए गठित परियोजनायें (डी0पी0आर0) कार्यकारी समिति से अनुमोदन कराकर अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
अपर निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत एन0यू0एल0एम0 शहर।
4. सहायक वेबमास्टर को सूडा के वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
अपर निदेशक